

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक एफ 1(3) आप्र एवं सहा/ओलावृष्टि/2015/1747-48 जयपुर, दिनांक 25-2-2015

जिला कलक्टर,  
अलवर एवं बारां, राज0।

विषय:- ओलावृष्टि से प्रभावित परिवारों को दिया जाने वाला  
राहत पैकेज।

महोदय,

राज्य सरकार ने वर्ष 2014 में आपके जिले में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित  
काशतकारों को राहत पहुंचाने हेतु राहत पैकेज घोषित किया है जो निम्न प्रकार  
है:-


जिन लघु, सीमान्त एवं अन्य कृषकों की 50 प्रतिशत से अधिक फसल  
क्षति हुई है, उनको जोत सीमा तक एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निम्न प्रकार  
कृषि आदान अनुदान दिया जावेगा जो अधिकतम दो हेक्टेयर तक देय होगा:-

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| ● असिंचित क्षेत्र हेतु                 | 4500 रूपये प्रति हेक्टेयर  |
| ● सिंचित क्षेत्र हेतु                  |                            |
| अ-बिजली के कुओं व नहर से               | 9000 रूपये प्रति हेक्टेयर  |
| सिंचित क्षेत्र हेतु                    |                            |
| ब-डीजल पम्प सैट से सिंचित क्षेत्र हेतु | 12000 रूपये प्रति हेक्टेयर |

1. जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों की फसलों में 50 प्रतिशत से अधिक  
खराबा हुआ है, उनके बिजली के 4 माह के बिल माफ किये जायेंगे।
2. ओलावृष्टि से प्रभावित 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले काशतकारों को  
सिंचाई विभाग द्वारा लिये जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया  
जायेगा।
3. राहत पैकेज में घोषित सहायता, उन कृषकों को भी दी जा सकती है,  
जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, किन्तु जिन्होंने भूमि पर  
ठेकेदारी/बांटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान जिन्होंने खेती ठेके पर  
की है वह बोई गई भूमि के खातेदार से 5 रूपये के स्टाम्प पेपर पर  
सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत  
करेंगे। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु संबंधित तहसीलदार, ग्राम  
पटवारी तथा ग्रामसेवक की एक तीन सदस्य समिति का गठन किया


जाए। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय ले कर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिये कृषकों को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।

4. किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतंत्र रूप से नेशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्र रूप से धारित भूमि के कुल रकबा यदि सीमान्त तथा लघु कृषक के लिए धारित रकबा के अनुसार हो तो उससे लघु सीमान्त कृषक के अनुसार कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।
5. ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर प्रभावितों का भू-राजस्व वसूली स्थगित की जावेगी तथा सहकारी अल्पकालीन ऋणों की वसूली स्थगित कर मध्यमकालीन ऋणों में परिवर्तन किया जायेगा।
6. ओलावृष्टि से प्रभावितों (मृतक, घायल, क्षतिग्रस्त मकान एवं पशुओं की मृत्यु आदि) को राज्य आपदा मोचन निधि मानदण्ड अनुसार सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

  
शासन सचिव,

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर व कोटा राजस्थान।
2. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, कृषि विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास/पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, ऊर्जा विभाग।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, जयपुर।

  
संयुक्त शासन सचिव